HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 8023/2025

1. Laxman S/o Natthi Lal, Aged About 50 Years, Resident of Hospital Ke Paas, Koli Mohalla, Saipau, Tehsil Saipau, District Dholpur, Rajasthan.
2. Cheepu S/o Deviram, Aged About 45 Years, Resident of Village Ajaypura, Tehsil Saipau, District Dholpur Rajasthan.
3. Shashi D/o Premkishan, W/o Avinash Sury, Aged About 60 Years, Resident of Village Maniya, Tehsil Maniya, District Dholpur, Rajasthan, At Present A-1, Flat No. 1, Sarvodaya Society, NIVEM Road, Khandaya, Pune (Maharashtra).

----Accused/Petitioners

Versus

1. State of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

2. Kirodi Lal S/o Deviram, Aged About 69 Years, Resident of Hospital Road, Marena, Tehsil Rajakhera, District Dholpur, Rajasthan.

----Complainant/Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bharat Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, Addl.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

23/02/2026

1. याचीगण–अभियुक्तगण की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **592/2024**, पुलिस थाना– **मनियां**, जिला– **धौलपुर**, अपराध अंतर्गत धारा **61(2)(b), 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2. चार सप्ताह की वापसी के साथ अयाची संख्या–2 को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

3. विद्वान् अधिवक्ता याचीगण–अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याचीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–592/2024 मिथ्या दर्ज करवायी गई है, उनका कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार भी मामला पूर्णतया इकरारनामा की पालना का है, जो कि सिविल प्रकृति का विवाद है, उनका यह भी कथन है कि उक्त सम्पत्ति के संदर्भ में परिवादी द्वारा याचीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध एक दावा बाबत् संविदा के यथावत पालना हेतु विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें यथास्थिति के आदेश भी हो चुके हैं एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत मामले में दो बार अनुसंधान कर मामला दीवानी प्रकृति का होना मानते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, किन्तु परिवादी पक्ष के दबाव में आकर प्रकरण में पुनः अनुसंधान प्रारम्भ कर पुलिस याचीगण–अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने पर आमादा है, याचीगण–अभियुक्तगण अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, तब तक याचीगण–अभियुक्तगण को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने उचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की।

5. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याचीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याचीगण–अभियुक्तगण को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वे दिनांक **10.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उनके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **592/2024** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे,

याचीगण–अभियुक्तगण के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8. प्रकरण **चार सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

AKSHAY KUMAR PAREEK /27